

व्यस्क मनाधिकार के रूप

1) व्यस्क मनाधिकार की विशेषता का अर्थ → विधि बनाते वाली सभा में योग्यता नागरिकों का होना आवश्यक है। व्यस्क मनाधिकार की प्रणाली में शिवा का कोई भी स्थान नहीं होता। सभी नागरिकों की केवल-आय के आधार पर चुनाव एवं मत का अधिकार दिया जाता है। ऐसी देश में मजदूर आयोग व्यवस्था का सदन बन सकता है। अन्य व्यस्क मनाधिकार प्रणाली में व्यस्क-आयक मजदूर की विशेषता की सम्मति की संभावना नहीं रहती है।

2) अव्यवहारिक सिद्धांत → व्यस्क मनाधिकार सभी नागरिकों का समान रूप से मत प्रदान करने का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यवहारिक है क्योंकि का-समीक्षात्मक में समान योग्यता नहीं होती है। कुछ नागरिक अपनी अज्ञानता के कारण इस अधिकार का उचित उपयोग भी नहीं कर सकते। उनको निर्धारण के कारण भी पता नहीं रहता कि किस प्रकार मत प्रदान किया जाना है। परिणाम यह होता है कि निर्वाचन के समय बहुत से मत नष्ट हो जाते हैं।

3) सुव्यवहार की उत्पत्ति → व्यस्क मनाधिकार शिक्षित, आर्थिक, धनी, विद्वान, पुरुष, स्त्री सभी का विभाजन नहीं करता। यह प्रदान किया जाता है। ऐसी देश में शिक्षित वर्ग आर्थिकता धनी वर्ग विद्वान एवं पुरुष स्त्रियों को वोट दारता दे सकते हैं। और अज्ञान प्रभाव सिद्ध अपना उत्तर सीधा कर लेते हैं।

परिणाम यह होता है कि निर्यात के समय इसका
दुर्लभयोग होता है और व्युत्पत्ति, बर्तमान, तथा
धोखाबाजी का बच्चा सम हो जाता है और
अव्याचार का वीजारोपण होता है।

1) शिक्षण योग्यता में अपेक्षा → वयस्क मनाधिमार योग्य
रूप अध्यापक दोनों ही नागरिकों को बिना किसी
सोझाव के समान रूप में प्रदान किया जाता है।

2) रिश्तों मनाधिमार के लिए अध्यापक → वयस्क
मनाधिमार पुरुषों की माँसि रिश्तों को भी समान
रूप से दिया जाता है। रिश्तों के राजनीतिक क्षेत्र
में भाग लेने से इसकी लज्जा का अनुभव
जाता है तथा पारिवारिक जीवन पर भी दुष्प्रभाव
पड़ता है। इसके अतिरिक्त न ही सब रिश्तों
में इतना ध्यान होता है कि वे राजनीतिक
समस्याओं को माली-माँसि समझ सकें और उनका
कार्य करने की शारीरिक क्षमता पाई जाती है।

निष्कर्ष → प्रत्येक अवस्था होने हुए भी हम
वयस्क मनाधिमार की आधुनिक प्रणाली-प्रणाली
के लिए अत्यन्त आवश्यक मानते हैं जैसा कि
लास्की ने लिखा है वयस्क मनाधिमार
का स्थान कोई दूसरी प्रणाली नहीं ले सकती।